08/10/2020

पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभय पक्ष उपस्थित। का.मु. का प्रा.प. पेश करने का अवसर चाहते हैं। वकील प्रतिवादी ने आपत्ति प्रकट की कि वादी केवल मात्र प्रकरण को लम्बित रखना चाहते हैं जबकि मृतक के बीमा का क्लेम 90 दिन निर्धारित है तथा प्रकरण में एक वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी का.मु. का प्रा.प. प्रस्तुत नहीं किया जाने से दावा अबेट हो चुका है। अतः वादी दावीय पत्रावली पुराना भी न्यायालय। वकील प्रतिवादी के कथन से सहमत हैं वादी द्वारा का.मु. का प्रा.प. प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया जाने दावा अबेट हो चुका है। अतः वादी दावीय पत्रावली फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल होने से काम मुल्तवी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बहेड़ा जिला-भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner